न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

प्रार्थी

1 कानाराम पुत्र मानाराम जाति माली निवासी पाली दरवाजा सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम अप्रार्थीगण

1. मनीष राव पुत्र हरिकृष्ण जाति माली निवासी मैला का चौक, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
2. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :— 16/2023

उपस्थितिः—

01 श्री भवानीसिंह जैतावत अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02 अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 01/01/24

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक नम्बर द्वितीय मे प्रार्थी की खातेदारी एवम् कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1250 रकबा 1.8800 हैक्टर पुरानी मेहन्दी की फसल लगी हुई है तथा सम्पूर्ण कृषि भूमि के चारो तरफ सीमांकन मेड बन्दी पुराने धोरे पाली, पुरानी माठे एवम् पत्थरगढ़ी एवम् तारबन्दी की हुई है। उक्त खसरे में आने जाने के लिये पूर्व दिशा में पूर्व से पश्चिम प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1249 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1250 तक कदीम से रास्ता 30 फुट चौड़ा कायम है। उसी रास्ते से प्रार्थी अपने खेत से दुदौड़ जाने वाली डामर सड़क तक आता जाता है। रास्ते के दोनो तरफ तारबन्दी कर मुडिया कच्चा रास्ता बनाया गया है तब उक्त रास्ते के दक्षिणा दिशा में प्रार्थी एवम् अप्रार्थी के बड़े पिता के पुत्र दिनेश पुत्र सीताराम व नरपत पुत्र सीताराम के खसरा नम्बर 1247/2 व 1248 आया हुआ है। उक्त रास्ते में अप्रार्थी संख्या 01 के पिता हरीकृष्ण द्वारा पूर्व मे दखल अन्दाजी करने पर मौके पर विद्यमान रास्ते के लिये प्रार्थी ने अप्रार्थी के पिता हरीकृष्ण से खसरा नम्बर 1249 में से 13 एयर जमीन खरीद कर दिनांक 04/02/2009 को अपने पक्ष में रजिस्ट्री करवा दी तथा मौके पर पूर्व में ही कब्जा था और पुनः विधिवत् रूप से जरिये खरीद व रजिस्ट्री कब्जा प्राप्त कर लिया। यह कृषि भूमि मात्र रास्ते के प्रयोजनार्थ हेतु ही खरीद की गई थी। उक्त रजिस्ट्री में रास्ता प्रयोजनार्थ खरीदी गई जमीन के अड़ौस पड़ौस भी रजिस्ट्री में दर्शाये गये थे। जिसके अनुसार उतर में खसरा नम्बर 1249 की शेष भूमि बेचानकर्ता स्वयं की कृषि भूमि जो अप्रार्थी के पिता के नाम से थी तथा दक्षिण में अप्रार्थी के बड़े पिता के पुत्र दिनेश पुत्र सीताराम व नरपत पुत्र सीताराम की कृषि भूमि जो प्रार्थी के दोनो सगे छोटे भाई के पुत्र है । पूर्व में दुदौड जाने वाला कच्चा रास्ता सेरिया है, जो वर्तमान में डामर सड़क है तथा पश्चिम दिशा में खरीददार स्वयं कानाराम की कृषि भूमि तथा उक्त रजिस्ट्री में यह स्पष्ट लिखा है कि इस विक्रय की गई आराजीयात कृषि भूमि का प्रयोजनार्थ रास्ता प्रयोजनार्थ ही है, तत्पश्चात् प्रार्थी ने अपने नाम खरीद की गई रजिस्ट्री के अनुसार राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन संख्या 2127 दिनांक 17/02/2009 को भरवा दिया एवम् राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवा दिया। उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी एवम् अप्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है, उक्त कृषि भूमि व अन्य खसरा नम्बरान की कृषि भूमि जो उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि के अड़ौस पड़ौस में है, इनका बंटवाड़ा पूर्व में दिनांक 28/07/2007 को चारो भाईयो ने मिलकर के आपसी सहमति से लिखित में किया था उसमें भी यह स्पष्ट लिखा कि वर्तमान में भाई हरीकृष्ण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में दुदौड जाने वाले रास्ते से जो नया रास्ता कायम किया है, जिस रास्ते से कानाराम अपनी कृषि भूमि में आवागमन करेंगे। जिसमें हरीकृष्ण कभी भी रोक टोक नही करेगा, तत्पश्चात् अप्रार्थी के पिता ने प्रार्थी के खसरा नम्बर 1250 में जाने वाले रास्ते में दखल अन्दाजी की तो प्रार्थी ने अप्रार्थी के पिता से अपने रास्ता हेतु खसरा नम्बर 1249 में से 0.1300 हैक्टर कृषि भूमि दिनांक 04/02/2009 को खरीद कर रजिस्ट्री करवाई ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद नही हो। वर्तमान में मौके पर खसरा नम्बर 1249/1 रकबा 0.1300 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी ने रास्ते

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

के प्रयोजनार्थ खरीद की थी, वह रास्ता खसरा नम्बर 1249 के दक्षिण दिशा में मौके पर कायम है। उक्त रास्ते के दोनो तरफ तारबन्दी की हुई है तथा दक्षिण दिशा वाली तारबन्दी स्वयं बेचानकर्ता हरीकृष्ण जो प्रार्थी के पिता है, उन्होने रास्ते की भूमि छोड कर की थी, जो मौके पर रास्ता कायम है। प्रार्थी खसरा नम्बर 1250 मे आता जाता है, जिस पर अप्रार्थी की कोई रोक टोक या दखल अन्दाजी नही है। खसरा नम्बर 1249 में से 0.1300 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी ने दिनांक 04/02/2009 को रास्ता प्रयोजनार्थ खरीद की थी तथा राजस्व रेकर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा दिया, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा उक्त रास्ते की कृषि भूमि में रास्ता रजिस्ट्री मे दिये गये स्थान पर तथा मौके पर मौजूद रास्ते की जगह पर नक्शे मे तरमीम करना था। लेकिन सेवन (गलती / भूल) से नक्शे में तरमीम प्रार्थी के खसरा नम्बर 1250 के पूर्व दिशा में दुदौड जाने वाली सडक तथा अप्रार्थी के खसरा नम्बर 1249 के दक्षिण दिशा में व खसरा नम्बर 1247 व 1248 के उत्तर दिशा में व पश्चिम दिशा में प्रार्थी स्वय कानाराम जी की भूमि के बीच में जो वर्तमान में मौके पर करीब 30 फुट चौडा रास्ता जो उत्तर से दक्षिण दिशा के बीच में है जो नजरी नक्शे में मार्क ए टु बी, बी टु सी, सी टु डी, डी टु ए के बीच मे नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक है। नजरी नक्शा उक्त प्रर्थाना पत्र का एक हिस्सा है पूर्व से पश्चिम करीब 500 फुट लम्बाई का रास्ता नक्शे में तरमीम करना चाहिये था जो नही कर गलती से प्रार्थी के खसरा नम्बर 1250 के पूर्व दिशा में चिपता हुआ तरमीम कर दिया, जिसका कोई औचित्य नही है तथा जहाँ पर नक्शे में तरमीम किया है, वहाँ पर मौके पर कोई रास्ता नही है, ऐसी स्थिति मे जहाँ पर खसरा नम्बर 1250 के पूर्व दिशा में चिपती हुई पट्टी जो खसरा नम्बर 1249 के पश्चिम दिशा में नक्शे मे तरमीम किया है उस तरमीम को निरस्त करते हुये उपर वर्णित जो रजिस्ट्री मे चारो दिशाओ के बीच में और मौके पर जो रास्ता कायम है उस जगह पर नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर सरहद मौजा सोजत के चक नम्बर 02 के खसरा नम्बर 1249 में से प्रार्थी ने दिनांक 04/02/2009 को जरिये रजिस्ट्री अपने रास्ते के प्रयोजनार्थ हेतु जो 0.1300 हैक्टर कृषि भूमि खरीद की थी, उक्त रास्ते की भूमि का जो गलती से हल्का पटवारी द्वारा तरमीम खसरा नम्बर 1250 के पूर्व दिशा में चिपती हुई खसरा नम्बर 1249/1 के चिपती हुई तरमीम कर दी, उस नक्शे में किया गया तरमीम निरस्त फरमाया जावे तथा जो मौके पर रास्ता कायम है और जरिये रजिस्ट्री प्रार्थी ने खरीद की है और रजिस्ट्री में चारो दिशायें अंकित कि है, उसके अनुसार खसरा नम्बर 1249 के दक्षिण दिशा में तथा खसरा नम्बर 1247 व 1248 के उत्तर दिशा में तथा पूर्व दिशा में दुदौड़ जाने वाला रास्ता जो मौके पर वर्तमान में डामर सड़क है तथा पश्चिम में खसरा नम्बर 1250 के बीच में स्थित खसरा नम्बर 1249/1 रकबा 0.1300 हैक्टर कृषि भूमि नजरी नक्शे में दर्शीत ए टु बी, बी टु सी, सी टु डी, डी टु ए जहां दर्शाया गया है उस जगह पर खसरा नम्बर 1249 में रास्ते की जगह तरमीम करने के अप्रार्थी संख्या 02 को आदेश फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार सोजत ने जबाब प्रा0 पेश नहीं करना चाहने से जबाब प्रा0 पत्र पेष करने का अवसर समाप्त किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया है कि प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि के खसरा नम्बर, रकबा व फसल व चारो तरफ सीमाकंन, मेड़ बन्धी, तारबंदी व चारो दिशाओं में स्थित खसरा नम्बर व पड़ोसियों के जो नाम दर्ज करवाये है, वह सही होने से स्वीकार है तथा मुझ अप्रार्थी यानि मेरे पिताजी से खसरा नम्बर 1249 में से 0.1300 हैक्टर कृषि भूमि रास्ते के लिये दिनांक 04/02/2009 को प्रार्थी द्वारा खरीद कर अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाई थी, जो कृषि भूमि रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग वक्त खरीद एवम् उसके काफी समय पहले से काम मे ली जा रही है तथा खरीदी हुई रजिस्ट्री में भी अड़ौस पड़ौस सही दर्शाये गये है तथा रजिस्ट्री में यह भी स्पष्ट लिखा है कि खरीद की गई कृषि भूमि 0.1300 हैक्टर रास्ता प्रयोजनार्थ ही है तथा प्रार्थी ने अपने नाम खरीद की गई रास्ते की भूमि का म्यूटेशन भी राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करवा दिया था तथा प्रार्थी एवम् मुझ अप्रार्थी की यह विवादग्रस्त कृषि भूमि एवम् अड़ौस पड़ौस में स्थित कृषि भूमि सभी हमारी पुश्तैनी मेरे पिता के चारो भाईयों की है और आपसी सहमति से पूर्व मे चारो भाईयों ने मिलकर के बंटवाडा भी किया था तथा मौके पर आने जाने हेतु रास्ता भी कायम किया था, जो मौके पर रास्ता उस समय से लगाकर आज तक मौजूद है। उक्त 0.1300 हैक्टर कृषि भूमि रास्ते के लिये खरीद की है। इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित सभी तथ्य सत्य होने से स्वीकार है। खसरा नम्बर 1249 से 0.1300 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी ने दिनांक 04/02/2009 को रास्ता प्रयोजनार्थ खरीद की थी, जिस खरीद की हुई भूमि मे से प्रार्थी अपने खसरा नम्बर 1250 मे आराम से आवागमन कर सकता है और उसका रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग भी करता आ रहा है। उक्त कृषि भूमि के खरीद के बाद खसरा नम्बर 1249/1 नये खसरा नम्बर पड़े जिसका नक्शे मे

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

तरमीम खसरा नम्बर 1249 के दक्षिण दिशा मे एवम् खसरा नम्बर 1247 एव 1248 के उतर दिशा म तथा पश्चिम दिशा मे प्रार्थी स्वय कानाराम जी का खेत एवम् पूर्व दिशा मे दुदौड जाने वाला कच्चा रास्ता व सडक वर्तमान मे पक्की डामरी सडक है, इसका जो नजरी नक्शा प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र के साथ पेश किया गया है, जिसमे ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए के बीच वाला भाग नक्शे मे तरमीम किया जाना था, लेकिन हल्का पटवारी की गलती से यह भूमि खसरा नम्बर 1249 के पश्चिम दिशा मे व 1250 के पूर्व दिशा मे एक पट्टी के रूप मे गलत दर्ज हो गई, जिसका दर्ज करने का कोई औचित्य नही है तथा वर्तमान मे यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा पेश किया गया है, जो नजरी नक्शा साथ मे पेश किया गया है, उस नजरी नक्शे के अनुसार उपर वर्णित एसेबी, बी से सी, सी से डी व डी से ए के बीच मे तरमीम किया जाते तथा जहा वर्तमान मे मेरे खसरा नम्बर 1249 के पश्चिम दिशा मे तरमीम है उसे निरस्त किया जावे और जहां मौके पर रास्ता कायम है, मौके पर 20 फुट रास्ता कायम है इसलिए नाप करके केवल 20 फुट रास्ते की ही तरमीम करावे, मौके पर 30 फुट रास्ता नही है तथा अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि मे मौके पर कोई रास्ता नही है और मौके पर मेरी तारबंदी की हुई है और मौके पर मुडीया सडक भी है उस जगह पर नक्शे खसरा नम्बर 1249/1 तरमीम किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार का कोई एतराज नही है। जहा पर प्रार्थी ने नक्शे मे खसरा संख्या 1249/1 रकबा 0.1300 हैक्टर कृषि भूमि तरमीम करवाना चाहता है, जिस बाबत अप्रार्थी को कोई एतराज नही है।

इस प्रकार जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पूर्व में खसरा नम्बर 1249/1 गलती से तरमीम किया गया है, उसे निरस्त कर प्रार्थी द्वारा जहां रास्ते की जगह मुझ अप्रार्थी के खसरा नम्बर 1249 के दक्षिण दिशा मे जहां मौके पर रास्ता है वहा पर नजरी नक्शे मे तरमीम करवाना चाहता है, वहाँ पर तरमीम दुरूस्त रूप से किए जाने की ईश्तदुआ की है।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सोजत से रिर्पोट चाही गई। तहसीलदार सोजत ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1249 रकबा 0.5770 मनीष टांक पुत्र हरीकृष्ण जाति माली सा.देह. खातेदार दर्ज है। खसरा नम्बर 1250 रकबा 1.88 कानाराम पुत्र मानाराम कौम खसरा नम्बर कौम माली खसरा नम्बर 1249/1 रकबा 0.1300 हैक्टर कानाराम पुत्र मानाराम कौम माली खसरा नम्बर 1247 रकबा 0.04 दिनेश,नरपत पिता सीताराम मानाराम पुत्र छगनाराम कौम माली खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.8800 दिनेश नरपत पि0 सीताराम कौम माली सा देह खातेदार दर्ज है। खसरा 1247, 1248 में दिनेश नरपत पिता सीताराम मानाराम पुत्र छगनलाल मौके पर काबिज है। खसरा नम्बर 1249 में मनीष टांक पुत्र हरीकृष्ण टांक व इसी खसरे में से होकर मौके पर 20 फिट चौडा रास्ता बना हुआ है जिसके दोनो तरफ तारबंदी की हुई है। उक्त रास्ते का उपयोग कानाराम पुत्र मानाराम खसरा नम्बर 1250 में जाने हेतु मौके पर उपयोग में ले रहा है। खसरा नम्बर 1249/1 मौका अनुसार कुछ हिस्से में से कानाराम पुत्र मानाराम रास्ते के रूप में काम में ले रहा है। शेष हिस्सा मनीष टांक पुत्र हरीकृष्ण वगैरह के कब्जे में

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षीय सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रार्थना पत्र सरहद मौजा सोजत के चक नम्बर 02 के खसरा नम्बर 1249 में से प्रार्थी ने दिनांक 04/02/2009 को जरिये रजिस्ट्री अपने रास्ते के प्रयोजनार्थ हेतु जो 0.1300 हैक्टर कृषि भूमि खरीद की थी, उक्त रास्ते की भूमि का जो गलती से हल्का पटवारी द्वारा तरमीम खसरा नम्बर 1250 के पूर्व दिशा में चिपती हुई खसरा नम्बर 1249/1 के चिपती हुई तरमीम कर दी, उस नक्शे में किया गया तरमीम निरस्त फरमाया जावे तथा जो मौके पर रास्ता कायम है और जरिये रजिस्ट्री प्रार्थी ने खरीद की है और रजिस्ट्री में चारो दिशायें अंकित कि है, उसके अनुसार खसरा नम्बर 1249 के दक्षिण दिशा में तथा खसरा नम्बर 1247 व 1248 के उतर दिशा में तथा पूर्व दिशा में दुदौड जाने वाला रास्ता जो मौके पर वर्तमान में डामर सड़क है तथा पश्चिम में खसरा नम्बर 1250 के बीच में स्थित खसरा नम्बर 1249/1 रकबा 0.1300 हैक्टर कृषि भूमि नजरी नक्शे में दर्शीत ए टु बी, बी टु सी, सी टु डी, डी टु ए जहां दर्शाया गया है उस जगह पर खसरा नम्बर 1249 में रास्ते की जगह तरमीम करवा, जाने की ईश्तदुआ की है। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार, सोजत जबाब पेश नहीं करना चाहने से जबाब पेश करने का अवसर समाप्त किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 02 ने प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र मे जहां प्रार्थी द्वारा रास्ता दर्शाया गया है तथा जहां से पूर्व में खसरा नम्बर 1249/1 गलती से तरमीम किया गया है, उसे निरस्त कर प्रार्थी द्वारा जहां रास्ते की जगह मुझ अप्रार्थी के खसरा नम्बर 1249 के दक्षिण दिशा मे जहां मौके पर रास्ता है वहा पर नजरी नक्शे मे तरमीम करवाना चाहता है तो कोई आपति नही होना व्यक्त किया है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुत सरहद मौजा सोजत के चक नम्बर 02 के खसरा नम्बर 1249 में से प्रार्थी ने दिनांक 04/02/2009 को जरिये रजिस्ट्री अपने रास्ते के प्रयोजनार्थ हेतु जो 0.1300 हैक्टर कृषि भूमि खरीद की थी, उक्त रास्ते की भूमि का जो गलती से हल्का पटवारी द्वारा तरमीम खसरा नम्बर 1250 के पूर्व दिशा में चिपती हुई खसरा नम्बर 1249/1 के चिपती हुई तरमीम कर दी, उस नक्शे में किया गया तरमीम निरस्त किये जाने तथा जो मौके पर रास्ता कायम है और जरिये रजिस्ट्री प्रार्थी ने खरीद की है और रजिस्ट्री में चारो दिशाये अंकित कि है उसके अनुसार खसरा नम्बर 1249 के दक्षिण दिशा में तथा खसरा नम्बर 1247 व 1248 के उत्तर दिशा में तथा पूर्व दिशा में दुदौड जाने वाला रास्ता जो मौके पर वर्तमान मे डामर सडक है तथा पश्चिम मे खसरा नम्बर 1250 के बीच में स्थित खसरा नम्बर 1249/1 रकबा 0.1300 हैक्टर कृषि भूमि नजरी नक्शे में दर्शीत ए टु बी, बी टु सी, सी टु डी, डी टु ए जहा दर्शाया गया है उस जगह पर खसरा नम्बर 1249 में रास्ते की जगह तरमीम करवाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश:–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत के चक नम्बर 02 के खसरा नम्बर 1249 में से दिनांक 04/02/2009 को जरिये रजिस्ट्री रास्ते के प्रयोजनार्थ रकबा 0.1300 हैक्टर कृषि भूमि खरीद की थी, जिसकी तरमीम माफिक बैचान रजिस्ट्री में अंकित पडौस अनुसार नही होना स्पष्ट होता है। लिहाजा खसरा नम्बर 1249/1 की वर्तमान तरमीम को खारिज किया जाता है। तहसीलदार सोजत को आदेश दिया जाता है कि वह बैचान रजिस्ट्री 04.02.2009 में अंकित पडौस अनुसार नये सिरे से खसरा नम्बर 1249/1 रकबा 0.1300 हैक्टर कृषि भूमि की तरमीम सोजत चक द्वितीय के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में करते हुए एक माह में पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

निर्णय आज दिनांक 01/01/2024 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली